संख्या:77/2024/870/2024/1440478/12-2099/161/2021

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2024**

विषयः फसलों के आच्छादन तथा उपज के सही आंकलन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि राजस्व विभाग के लेखपालों द्वारा प्रत्येक मौसम यथा खरीफ, रबी एवं जायेद मौसमों में फसलों की पड़ताल की जाती है। पड़ताल से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर फसलों के क्षेत्रफल का आंकलन किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि फसलों की ई-खसरा पड़ताल सही-सही करायी जाये ताकि फसलों के क्षेत्रफल का आंकलन सही-सही किया जा सके। जनपद स्तर पर फसलों की ई-खसरा पड़ताल की जनपदीय अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक जाँच करायी जाये तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाये।

2. फसलों के उपज के अनुमानों का आंकलन उन पर आयोजित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। इन प्रयोगों के सही-सही सम्पादन से ही उपज के सही अनुमान आंकलित किये जा सकेंगे तथा प्रदेश में फसलों के उत्पादन का सटीक अनुमान आंकलित करना सम्भव हो सकेगा। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि फसलों के उपज के अनुमान के आधार पर प्रदेश में संचालित फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत बीमित कृषकों की फसलों की क्षति का आंकलन करते हुए उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है इसलिए बीमित फसलों के उपज के अनुमान का सही आंकलन शतप्रतिशत भारत सरकार द्वारा निर्मित **CCE Agri App** से तथा उत्पादन, उत्पादकता के आंकलन हेतु **GCEs App** द्वारा सम्पादित क्राप कटिंग प्रयोगों के आधार पर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त परिणाम के आधार पर उत्पादकता के सही आंकलन के लिए कटाई स्तर पर जनपदीय अधिकारियों से इन प्रयोगों का अधिक से अधिक संख्या में निरीक्षण कराना अति आवश्यक है। साथ ही इस कार्य की प्रगति की समीक्षा भी समय-समय पर किया जाना आवश्यक होगा। इससे इस कार्य की समय से प्राप्त परिणामों की गुणवत्ता एवं सुतथ्यता में भी वृद्धि होगी।

3. प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा फसलों के आच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु कई महत्वाकांक्षी योजनायें चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा तभी सम्भव हो सकेगी जब फसलों के आच्छादन की सही-सही पड़ताल करते हुए क्षेत्रफल का आंकलन किया जाये तथा फसलों पर कटाई प्रयोगों का शत-प्रतिशत **CCE Agri App** एवं **GCEs App** से सम्पादन कराते हुए उपज के सटीक अनुमान आंकलित किये जायें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में फसलों की ई-खसरा पड़ताल सही-सही करायी जाये तथा ई-खसरा पड़ताल की अधिक से अधिक संख्या में जाँच भी करायी जाये,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

साथ ही फसलों के कटाई प्रयोगों के सही-सही सम्पादन कराने हेतु जनपदीय अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित किया जाये, ताकि फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन का सटीक आंकलन हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए समय से सही-सही ई-खसरा पड़ताल तथा कटाई प्रयोगों का सम्पादन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या:77(1)/2024/870/2024/1440478/12-2099/161/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. श्री रितेश चैहान, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी.एम.एफ.बी.वाई, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
टी0 के0 शिबु
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।